



(थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा चोरी की नम्बर प्लेट व 10 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के नेतृत्व एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कविनगर के पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा दिनांक 07-08-2022 की रात्रि में थाना मधुबन बापूधाम में अभियुक्त 1. दीपक यादव पुत्र रामदास यादव नि0 काजीपुरा वेव सिटी थाना मसुरी जनपद गाजियाबाद मूल नि0 जुआखेड़ा थाना परौर जनपद बदायूं 2. निखिल कुमार पुत्र मनोज कुमार नि0 ईडब्ल्यूएस बापूधाम गाजियाबाद 3. अमन पुत्र रामकिशन नि0 ए 19 सीएनजी पम्प के पास बापूधाम थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद 4. अर्जुन पुत्र निर्देश नि0 काजीपुरा वेव सिटी थाना मसुरी जनपद गाजियाबाद को चोरी की नम्बर प्लेट व चोरी की 10 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है इनके द्वारा मिलकर वाहन चोरी की जाती है तथा पहचान छिपाने के लिए कभी नम्बर प्लेट तोड़ देते है कभी नम्बर बदल देते है या फिर कुछ दिन के लिए वाहन को छिपा देते है तथा कुछ दिन बाद राह चलता ग्राहक ढंढकर मजबूरी बताकर सस्ते दामों में बेच देते है। पकड़े गए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त –

- (1) दीपक यादव पुत्र रामदास यादव नि0 काजीपुरा वेव सिटी थाना मसुरी जनपद गाजियाबाद मूल नि0 जुआखेड़ा थाना परौर जनपद बदायूं
- (2) निखिल कुमार पुत्र मनोज कुमार नि0 ईडब्ल्यूएस बापूधाम गाजियाबाद।
- (3) अमन पुत्र रामकिशन नि0 ए 19 सीएनजी पम्प के पास बापूधाम थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
- (4) अर्जुन पुत्र निर्देश नि0 काजीपुरा वेव सिटी थाना मसुरी जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक यादव

1. मु0अ0सं0 334/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 335/22 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 337/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।

4. मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 1035/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।
आपराधिक इतिहास अभियुक्त निखिल कुमार
1. मु0अ0सं0 334/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 335/22 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 337/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 1035/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमन

1. मु0अ0सं0 334/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 335/22 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 337/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 1035/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अर्जुन

1. मु0अ0सं0 334/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 335/22 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 337/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 1035/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण –

1. 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर UP 14 DZ 2981 काला रंग सम्बन्धित मु0अ0सं0 334/22 धारा379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गा0बाद से सम्बन्धित ।
2. 01 अदद मोटर साइकिल न0- UP-14 DV 4552 अपाचे रंग लाल व सफेद सम्बन्धित मु0अ0सं0 335/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गा0बाद से सम्बन्धित।
3. 01 अदद मोटरसाइकिल डिस्कवर न0- UP- 78 BL 7489 रंग नीला सम्बन्धित मु0अ0सं0 337/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गा0बाद से सम्बन्धित।
4. 01 अदद मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे नं0 UP 14 CZ 1648 मु0अ0सं0 1035/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर गा0बाद से सम्बन्धित।
5. 01 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर नं0- UP 13X 3654, मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम से सम्बन्धित।
6. 01 अदद मो0साइकिल स्प्लेण्डर प्लस - UP 14 AD 3308, ,मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम से सम्बन्धित।
7. 01 अदद मो0साइकिल स्प्लेण्डर प्लस - UP 14 CM 6406, ,मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम से सम्बन्धित।
8. 01 अदद मो0साइकिल हीरो डीलैक्स UP 15DD1921, ,मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम से सम्बन्धित।
9. 01 अदद मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना नं0 UP14 CS 0634, मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम से सम्बन्धित।,
10. 01 अदद मोटर साइकिल बजाज डिस्कवर नं0 UP 14 AC 3437 ,मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम से सम्बन्धित।
11. 01 अदद नम्बर प्लेट ,मु0अ0सं0 340/2022 धारा 379/411/414/482 भादवि थाना मधुबन बापूधाम से सम्बन्धित।

अपराध करने का तरीका

1. इनके द्वारा साथ मिलकर वाहन चोरी की जाती है तथा पहचान छिपाने के लिए कभी नम्बर प्लेट तोड़ देते हैं कभी नम्बर प्लेट बदल देते हैं या फिर कुछ दिन के लिए वाहन को छिपा देते हैं तथा कुछ दिन बाद राह चलता ग्राहक ढंढकर मजबूरी बताकर सस्ते दामों में बेच देते हैं।
2. अभियुक्तों द्वारा वाहन चोरी करना व बेच देना अपने रिहायशी शौक पूरा करने के लिए किया जाता है।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 02 मोबाइल चोर मय लूट व चोरी के दो अदद मोबाइल फोन व

02 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज जी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 07.08.2022 को चैकिंग के दौरान रात्रि करीब 21:30 बजे 02 शातिर मोबाइल चोर 1. अभि0 1. कासिम उर्फ बेटी पुत्र ताहिर 2. रवि उर्फ चाइनी पुत्र छोटे टी एण्ड टी चौराहा, थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी के दो अदद मोबाइल फोन व 02 अदद चाकू बरामद किये गये।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता

1. कासिम उर्फ बेटी पुत्र ताहिर निवासी म0नं0 238, गली नं0 10, 25 फुटा रोड थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र 23 वर्ष
2. रवि उर्फ चाइनी पुत्र छोटे निवासी कच्चा टुण्डला थाना टुण्डला जनपद फिरोजाबाद हालपता- शनि बाजार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तारी दिनांक , समय व स्थान

गिरफ्तारी दिनांक :- 07.08.2022 समय 21:30 बजे

गिरफ्तारी स्थान :- टी एण्ड टी चौराहा , थाना विजयनगर क्षेत्र

बरामदगी का विवरण

1. मोबाइल फोन ओपो IMEI NO. 860439051775418
सम्बन्धित मु0अ0सं0 0294/2022 धारा 392/411/382 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गाजियाबाद
2. मोबाइल फोन रेडमी IMEI NO. 860669057683055
सम्बन्धित मु0अ0सं0 0592/2022 धारा 380/411/382 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गाजियाबाद
3. दो अदद अवैध चाकू
सम्बन्धित मु0अ0सं0 0994/2022 & 0995/2022 धारा 4/25 ए एक्ट थाना विजय नगर गाजियाबाद

गिरफ्तार अभि0 कासिम उर्फ बेटी पुत्र ताहिर का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 0294/2022 धारा 392/411/382 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 0592/2022 धारा 380/411/382 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 0994/2022 धारा 4/25 ए एक्ट थाना विजय नगर गाजियाबाद

गिरफ्तार अभि0 रवि उर्फ चाइनी पुत्र छोटे का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 0294/2022 धारा 392/411/382 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 0592/2022 धारा 380/411/382 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 0995/2022 धारा 4/25 ए एक्ट थाना विजय नगर गाजियाबाद

को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद ।

!! श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज महोदय के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री अभय कुमार मिश्र के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान थाना प्रभारी खोडा के कुशल नेतृत्व में अन्तर्राज्यीय /एनसीआर क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत 01 शातिर अभियुक्त को दिनांक 08.08.22 समय 10.50 बजे सुबह घटना स्थल कालू सीमेन्ट की और से गुर्जर गेट के पास गली न0 1 खोडा कालोनी चौकी क्षेत्र प्रगति विहार से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद हुआ ।

गिर0 अभियुक्त का नाम पता

जगदीश पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम भैसोडा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी केयर आफ नेत्रपाल वंदना विहार खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1- एक अदद चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त जगदीश पुत्र राजकुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	403/2022	4/25 ए एक्ट	खोडा	गाजियाबाद
2	653/2021	4/25 ए एक्ट	खोडा	गाजियाबाद

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वाछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.08.2022 को निठोरा खरखडी के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला जिसमें आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव की शिनाक्त कर वादी मुकदमा की लिखित तहरीर पर थाना पर मु0अ0सं0 913/2022 धारा 302/201 भादवि में पंजीकृत कराया गया। तथा श्रीमान मुनिराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद एवम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 08.08.2022 को 09.30 बजे मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त प्रमोद पुत्र संतराम निवासी

अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष उपरोक्त को पुरस्ता तिराहे पर मन्दिर के पास लोनी से गिरफ्तार कर घटना मे प्रयुक्त एक कार वैगन आर रजि0नं0 UP 14 FT 4595 तथा आलाकत्ल एक अदद डण्डा के गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि करीब 2-3 माह पूर्व मृतक इकराम से मैंने 10 हजार रुपये पैसे उधार लिये थे जिसे लेने के लिए इकराम मुझसे बार-बार पैसे मागता था इसी बात को लेकर हम दोनो मे कई बार पैसे को लेकर आपस मे कहा सुनी हुई थी तथा गाली गलौज हो गयी थी मृतक इकराम मुझे दिनांक 05.8.2022 को धन्नूराम कट के पास मिला था पैसे की बात की तो मृतक ने मुझे गाली गलौज की इसी बात को लेकर मैंने उसे गाडी में बैठा लिया था और उसको खरखडी के जंगल मे ले जाकर ठण्ठे से सर मे मारकर जंगल मे फेक दिया था और मे वहां से फरार हो गया था ।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण-

प्रमोद पुत्र संतराम निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 913/2022 धारा 302/201 भादवि ।

थाना टीलामोड की पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्ता को लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने पुरुष पार्टनर की हत्या करने के उपरान्त शव को ठिकाने लगाते समय गिरफ्तार किया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक नफर अभियुक्ता को स्वयं के प्रेमी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाते समय गिरफ्तार किया ।

दिनांक 07/08.08.2022 की रात्रि मे उ0 नि0 प्रवीन कुमार, मय हमराही है0का0 दिनेश कुमार, का0 3125 रविन्द्र कुमार, चालक इम्तियाज मय पीसी 38 के चौकी क्षेत्र तुलसी निकेतन मे रोकथाम आपराधिक घटना चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहन करते हुए समय रात्रि

02.00 बजे वजीराबाद रोड तुलसी निकेतन पहुंचे तो एक महिला अपने हाथ में ट्रॉली बैग काले रंग का अटैचीनुमा ट्रॉली बैग खींच कर ले जाते हुये देखी गयी शक होने पर गाडी रोककर महिला से इतनी रात्रि मे अकेले होने के सम्बन्ध मे जानकारी करनी चाही तो ट्रॉली बैग छोडकर सडक किनारे जाने लगी जिस पर उ0नि0 द्वारा तत्परता से सुझबुझ का परिचय देते हुए महिला को टोका व रूकने के लिये कहा तो वह सक पका कर खडी हो गयी हस्बुल तलब का03125 रविन्द्र व म0का0 04 शिवानी को साथ लेकर ट्रॉली बैग की तलाशी ली गयी तो उसमे एक मृत व्यक्ति पुरुष का शव पाया गया । महिला आरक्षी की मौजूदगी मे अपने कुशल प्रशिक्षण एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो महिला द्वारा अपना नाम प्रीति शर्मा उम्र 32 वर्ष पत्नी दीपक यादव नि0 फ्लैट 1891 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद बताया शव के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया शव मेरे प्रेमी और लिविंग पार्टनर फिरोज सलमानी उर्फ छव्वनी पुत्र इकबाल सलमानी उम्र 23 वर्ष का है । इससे मेरे प्रेम सम्बन्ध थे । विस्तृत पूछताछ मे महिला द्वारा बताया मेरा पति दीपक यादव ने करीब 03-04 वर्ष पहले छोड दिया था । तभी से मृतक फिरोज सलमानी उर्फ चव्वनी उपरोक्त के साथ लिविंग रिलेशनशिप मे रह रही थी । मै इससे शादी करना चाहती थी । लेकिन यह शादी से टाल मटोल कर देता था । तथा इसके परिजन भी अपने धर्म की किसी लडकी से शादी करना चाहते थे । बीती रात मैने फिरोज से जल्दी शादी करने का दबाव बनाया तो फिरोज मुझ पर चालू औरत होने का आरोप लगाने लगा जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैने दाढी बनाने बनाने वाले उस्तरा से फिरोज का गला काट दिया तथा दिन मे सीलमपुर से बडे साइज का ट्राली बैग लाकर फिरोज की लाश ट्राली बैग मे रखकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी ट्रेन मे रखने जा रही थी । उ0नि0 प्रवीन कुमार द्वारा मय हमराह पुलिस बल के बरामद शव के सम्बन्ध मे विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए महिला को हिरासत पुलिस लेकर थाना टीलामोड पर मु0अ0सं0 393/22 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत कराया । उ0नि0 व हमराह पुलिस बल द्वारा उक्त कार्यवाही मे काफी सुझबुझ का परिचय देते हुये घटना का अनावरण कर अभियुक्ता की गिरफ्तारी की गयी ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता:-

1.प्रीति शर्मा उम्र 32 वर्ष पत्नी दीपक यादव नि0 फ्लैट 1891 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण –

आलाकत्ल उस्तरा की बरामदगी प्रचलित है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 393/22 धारा 302/201 भादवि थाना टीलामोड़ गाजियाबाद
अभि0 के अन्य अपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है।



प्रेस नोट

थाना कविनगर पुलिस द्वारा दो शातिर लुटेरो को मय लूटे गये मोबाईल, एक चैन पीली धातु व एक मो0सा0 चोरी की व दो अवैध चाकू के साथ किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस गाजियाबाद द्वारा लूट करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 07.08.2022 को समय 23.30 बजे अभियुक्तगण (1) शानू उर्फ सोनू उर्फ समीर पुत्र शौकीन निवासी 100 फुटा रोड पीर वाली गली लोनी थाना लोनी गाजियाबाद (2) दानिश पुत्र यासीन निवासी ग्राम खेंकडा थाना खेकडा जिला वागपत को चैकिंग के दौरान डीडीपीएस स्कूल गोविन्दपुरम थाना कविनगर क्षेत्र से मय लूटे गये मोबाईल, एक चैन पीली धातु, एक अदद मोटर साईकिल बुलेट DL5SCQ3919 व दो अदद चाकू नाजायाज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण से बरामद नाजायज चाकू के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 1037/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम शानू उर्फ सोनू उर्फ समीर उपरोक्त व मु0अ0सं0 1038/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम दानिश उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण चोरी की मोटर साईकिल व अवैध असलहों का प्रयोग करके सुन सान रास्तो पर मौका पाकर अकेली चल रही महिलाओं से चैन व मोबाईल लूट करने की घटना कारित करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. शानू उर्फ सोनू उर्फ समीर पुत्र शौकीन निवासी 100 फुटा रोड पीर वाली गली लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
2. दानिश पुत्र यासीन निवासी ग्राम खेंकडा थाना खेकडा जिला वागपत उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

1. एक अदद मोबाईल रेडमी कम्पनी का सफेद आसमानी कलर आई एम ई आई न0 1-867473040859739 2- 867473040859747 सम्बन्धित मु0अ0सं0 463/22 धारा 392 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।

2. एक प्लास्टिक के डिब्बे में मंगल सूत्र पीली धातु सील सर्वे मोहर सम्बन्धित मु0अ0स0 1031/2022 धारा 392 भादवि0 थाना कविनगर गा0बाद
3. एक अदद मोटर साईकिल बुलट DL5SCQ3919 थाना गोकुलपुरी दिल्ली E- FIR न0 022083/2022
4. दो चाकू नाजायज।

अभियुक्त शानू उर्फ सोनू का आपराधित इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 10037/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0स0 1031/2022 धारा 392 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0स0 463/22 धारा 392 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।
- 4- E- FIR न0 022083/2022 धारा 379 भादवि थाना गोकुलपुरी दिल्ली।

अभियुक्त दानिश का आपराधित इतिहास-

1. मु0अ0स0 1038/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0स0 1031/2022 धारा 392 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. मु0अ0स0 463/22 धारा 392 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।
4. E- FIR न0 022083/2022 धारा 379 भादवि थाना गोकुलपुरी दिल्ली।



प्रेस नोट

दिनांक- 08.08.2022----- थाना कविनगर (गाजियाबाद)

थाना कविनगर पुलिस द्वारा लूट व चोरी के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 095/21 धारा 380 भादवि, मु0अ0सं0 0024/21 धारा 392 भादवि , मु0अ0सं0 0317/21 धारा 380/457 भादवि में वांछित अभियुक्त सन्दीप पुत्र राजपाल वर्मा निवासी म0न0 241 गली न0 1 जीतपुर मुरादनगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को अभियुक्त उपरोक्त की दुकान शिव ज्वैलर्स सक्को वाली गली मुरादनगर से दिनांक 07.08.2022 को समय 20.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सन्दीप पुत्र राजपाल वर्मा निवासी म०न० 241 गली न० 1 जीतपुर मुरादनगर थाना मुरादनगर उम्र 30 वर्ष।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०स० 0095/21 धारा 380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
 2. मु०अ०सं० 0024/21 धारा 392 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
 3. मु०अ०सं० 0317/21 धारा 380/457 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



प्रेस नोट थाना टीला मोड़ दि०- 08.08.22

थाना टीलामोड़ की पुलिस टीम द्वारा तीन अभियुक्तों को 133 देशी शराब के पबबे हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान तीन अभियुक्तों को हरियाणा राज्य की तीन अभियुक्तों को 133 देशी शराब के पबबे हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 07.08.2022 को सायं समय करीब 18.00 बजे इन्द्रा पार्क के पीछे मैदान से चैकिंग के दौरान थाना पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तों 11. सोनू पुत्र सुभाष नि० ग्राम राजपुर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद मूल पता ग्राम मलखेडिया थाना अतरौली अलीगढ़ उम्र 25 वर्ष 2. अर्जुन पुत्र चेनेई नि० ग्राम चिरौड़ी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष 3. मदन पुत्र हरिदास नि० ग्राम राजपुर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद मूल पता महशपुर लारा जनपद समस्तीपुर विहार उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अलग अलग क्रमशः 45 पबबे व 40 पबबे व 48 पबबे देशी हरियाणा मार्का शराब सन्तरा For SALE IN HARYANA ONLY के कुल 133 पबबे बरामद हुये। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०स० 389/22 धारा 60/63 Ex.Act बनाम सोनू – व मु०अ०स० 390/22 धारा 60/63 EX ACT बनाम अर्जुन व मु०अ०स० 391/22 धारा 60/63 EX ACT बनाम मदन उपरोक्त पंजीकृत किये गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सोनू पुत्र सुभाष नि0 ग्राम राजपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम मलखेडिया थाना अतरौली अलीगढ उम्र 25 वर्ष
2. अर्जुन पुत्र चेनेई नि0 ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष
3. मदन पुत्र हरिदास नि0 ग्राम राजपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद मूल पता महशपुर लारा जनपद समस्तीपुर विहार उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

- 1- 45 पब्बे देशी हरियाणा मार्का शराब सन्तरा अभियुक्त सोनू से बरामद
- 2- 40 पब्बे देशी हरियाणा मार्का शराब सन्तरा अभियुक्त अर्जुन से बरामद
- 3- 48 पब्बे देशी हरियाणा मार्का शराब सन्तरा अभियुक्त मदन से बरामद
- 4- **अपराधिक इतिहास अभियुक्त**

मु0अ0सं0 389/22 धारा 60/63 Ex.Act बनाम सोनू -

मु0अ0सं0 390/22 धारा 60/63 EX ACT बनाम अर्जुन

मु0अ0सं0 391/22 धारा 60/63 EX ACT बनाम मदन

अभि0 के अन्य आपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है ।



प्रेस नोट

थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध असलाह सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक कविनगर श्री अमित कुमार मय टीम द्वारा दिनांक 07.08.2022 को समय 16.50 बजे अभियुक्त अरविन्द पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम टोडरपुर बोथरी थाना जसराना जिला फिरोजाबाद हालपता आर-2/82 राजनगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद को चैकिंग के दौरान डायमण्ड फलाई ओवर के पास थाना कविनगर क्षेत्र से मय एक अदद चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से बरामद नाजायज चाकू के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 1036/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

साहिल पुत्र शान मौहम्मद निवासी ग्राम मिरेची थाना मिरेची जिला एटा हाल पता ग्राम रजापुर रविन्द्र के मकान पर किरायेदार थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

01 अदद चाकू नाजायज ।

अभियुक्त का आपराधित इतिहास-

1-मु0अ0सं0 1036/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास का जानकारी की जा रही है ।



प्रेस नोट

दिनांक 08.08.22 थाना मोदीनगर पर

एक अभियुक्त मय अवैध शस्त्र नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी महोदय के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ० ईरज रजा महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह महोदय के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के नेतृत्व में उ०नि० श्री भरत सिंह परिहार मय टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि० संजू पत्र राजेन्द्र निवासी कपडा मील के पास गली न० 9 श्याम बिहार कस्बा व थाना मोदीनगर ग०बाद को अवैध शस्त्र नाजायज चाकू रेलवे फाटक रोरी के पास मोदीनगर से दिनांक 07.08 .22 समय 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया है । जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु० अ० स० 502/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है । पूछताछ कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

संजू पत्र राजेन्द्र निवासी कपडा मील के पास गली न० 9 श्याम बिहार कस्बा व थाना मोदीनगर ग०बाद

बरामदगी का विवरण

- एक नाजायज चाकू

अभि0 का आपराधिक इतिहास

1-मु0 अ0 स0 502/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना मोदीनगर गा0बाद ।



प्रेस नोट

थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा तीन अभियुक्तों को 133 देशी शराब के पब्ले हरियाणा मार्क सहित किया गिरफ्तार ।

थाना टीला मोड पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 07.08.2022 को 03 अभियुक्तों 1. सोनू पुत्र सुभाष नि0 ग्राम राजपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम मलखेडिया थाना अतरौली अलीगढ उम्र 25 वर्ष 2. अर्जुन पुत्र चेनेई नि0 ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष 3. मदन पुत्र हरिदास नि0 ग्राम राजपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद मूल पता महशपुर लारा जनपद समस्तीपुर विहार उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया हैं ।

अभियुक्तों को कब्जे से 45 पब्ले व 40 पब्ले व 48 पब्ले देशी हरियाणा मार्क शराब सन्तरा For SALE IN HARYANA ONLY के कुल 133 पब्ले बरामद हुये। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 389/22 धारा 60/63 Ex.Act बनाम सोनू – व मु0अ0स0 390/22 धारा 60/63 EX ACT बनाम अर्जुन व मु0अ0स0 391/22 धारा 60/63 EX ACT बनाम मदन उपरोक्त पंजीकृत किये गये ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सोनू पुत्र सुभाष नि0 ग्राम राजपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम मलखेडिया थाना अतरौली अलीगढ उम्र 25 वर्ष
2. अर्जुन पुत्र चेनेई नि0 ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष
3. मदन पुत्र हरिदास नि0 ग्राम राजपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद मूल पता महशपुर लारा जनपद समस्तीपुर विहार उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

- 5- 45 पब्ले देशी हरियाणा मार्क शराब सन्तरा अभियुक्त सोनू से बरामद
- 6- 40 पब्ले देशी हरियाणा मार्क शराब सन्तरा अभियुक्त अर्जुन से बरामद
- 7- 48 पब्ले देशी हरियाणा मार्क शराब सन्तरा अभियुक्त मदन से बरामद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

मु0अ0सं0 389/22 धारा 60/63 Ex.Act बनाम सोनू –
मु0अ0स0 390/22 धारा 60/63 EX ACT बनाम अर्जुन



(प्रेस नोट थाना मसूरी, गाजियाबाद)

मसूरी पुलिस द्वारा अलग अलग 04 केंटर में कुल 62 भैंस को निर्दयतापूर्वक भरकर क्रुरता करने वाला 01 नफर अभि0 गिरफ्तार

दिनांक:- 08.08.2022

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज द्वारा जनपद में पशुओं पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम व पशु क्रुरता अधि0 के तहत चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर श्री आकाश पटेल के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.08.2022 को प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र चन्द्र पन्त थाना मसूरी गाजियाबाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ0नि0 श्री नासिर हुसैन द्वारा मय टीम के मुखबिर की सूचना पर एक नफर अभियुक्त फकरुद्दीन पुत्र फतेह मोहम्मद उम्र 34 वर्ष नि0 ग्राम नावली थाना फिरोजपुर झुरका जिला मेबात हरियाणा तथा चार गाडियां (1) आइसर केन्टर न0 RJ14 GN 4065 (2) आइसर केन्टर न0 HR62 A 3598 (3) आइसर केन्टर न0 HR39 D 3989 (4) अशोका लीलैण्ड 22 फिटी न0 HR57 A 0206 से 62 भैंसे सहित रघुनाथपुर बम्बे पटरी पुल के पास थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद से समय 06.15 बजे गिरफ्तार किया। चारों गाडियों में कुल 62 भैंसे टूँस- टूँस कर निर्दयता पूर्वक भरी हुई थी, जो कि अधिक गर्मी का मौसम होने के कारण बेहाल होकर हाँफ रही थी। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 586/22 धारा 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम बनाम फकरुद्दीन उपरोक्त व 10 नफर अज्ञात पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1- फकरुद्दीन पुत्र फतेह मोहम्मद उम्र 34 वर्ष नि० ग्राम नावली थाना फिरोजपुर झुरका जिला मेबात हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण:-

- 62 भैंसे ।
- चार गाडियां (1) आइसर केन्टर न० RJ14 GN 4065 (2) आइसर केन्टर न० HR62 A 3598 (3) आइसर केन्टर न० HR39 D 3989 (4) अशोका लीलैण्ड 22 फिटी न० HR57 A 0206.

पंजीकृत अभियोग -

1- मु०अ०सं० 586/22 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मसूरी गा०बाद ।



थाना मसूरी पुलिस द्वारा अलग अलग 04 कैन्टर में कुल 62 भैंस को निर्दयतापूर्वक भरकर क्रूरता करने वाला 01 नफर अभि० गिरफ्तार

दिनांक:- 08.08.2022

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज द्वारा जनपद में पशुओं पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम व पशु क्रूरता अधि० के तहत चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा० श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर श्री आकाश पटेल के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.08.2022 को प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र चन्द्र पन्त थाना मसूरी गाजियाबाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ०नि० श्री नासिर हुसैन द्वारा मय टीम के मुखबिर की सूचना पर एक नफर अभियुक्त फकरुद्दीन पुत्र फतेह मोहम्मद उम्र 34 वर्ष नि० ग्राम नावली थाना फिरोजपुर झुरका जिला मेबात हरियाणा तथा चार गाडियां (1) आइसर केन्टर न० RJ14 GN 4065 (2) आइसर केन्टर न० HR62 A 3598 (3) आइसर केन्टर न० HR39 D 3989 (4) अशोका लीलैण्ड 22 फिटी न० HR57 A 0206 से 62 भैंसे सहित रघुनाथपुर बम्बे पटरी पुल के पास थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद से समय 06.15 बजे गिरफ्तार किया । चारों गाडियों में कुल 62 भैंसे ठूँस- ठूँस कर निर्दयता पूर्वक भरी हुई थी, जो कि अधिक गर्मी का मौसम होने के कारण बेहाल होकर हाँफ रही थी । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 586/22 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम फकरुद्दीन उपरोक्त व 10 नफर अज्ञात पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

2- फकरुद्दीन पुत्र फतेह मोहम्मद उम्र 34 वर्ष नि० ग्राम नावली थाना फिरोजपुर झुरका जिला मेबात हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण:-

- 62 भैंसे ।
- चार गाडियां (1) आइसर केन्टर न० RJ14 GN 4065 (2) आइसर केन्टर न० HR62 A 3598 (3) आइसर केन्टर न० HR39 D 3989 (4) अशोका लीलैण्ड 22 फिटी न० HR57 A 0206.

पंजीकृत अभियोग -

1- मु०अ०सं० 586/22 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मसूरी गा०बाद ।

गिरफ्तारी / पर्यवेक्षण करने वाली टीम -

- (1) उ०नि० श्री नासिर हुसैन ।
- (2) उ०नि० भानू प्रकाश
- (3) उ०नि० संदीप कुमार

- (4) उ0नि0 सुमित उपाध्याय
- (5) का0 3842 सुमित कुमार ,
- (6) का0 3843 सकेन्द्र दीक्षित
- (7) का0 125 विनय कुमार